

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुरेश कुमार बलाई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 19/2025

तारीख दायर :- 28.05.2025

तारीख फैसला :- 21/11/2025


1. श्री देवा पिता उंकार मीणा निवासी बगेडी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

बनाम



1. श्री अमरा पिता नवला मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
2. नाबालिग श्री अर्जुन पिता स्व.धनिया मीणा जरिये संरक्षक माता श्रीमती चैनकी पत्नी स्व. श्री धनिया मीणा नेता पिता पांचु मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
3. श्रीमती चैनकी पत्नी स्व.धनिया मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
4. श्री नारायण पिता स्व.धनिया मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
5. श्री हरजिला पिता दला मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
6. श्री केशा पिता वाला मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
7. श्रीमती खेमणी बाई पत्नी स्व.भेरा मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
8. श्री गोटीया पिता वाला मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
9. श्री मांगीलाल पिता भेरा मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
10. श्री चेना पिता कना मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
11. श्री धर्मा पिता कना मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
12. श्री भगवाना पिता कना मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
13. श्री रामेश्वर पिता कना मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
14. श्री लाला पिता कना मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
15. श्री भगा पिता भेरा मीणा निवासी बगेडी (टटाकीया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
16. सरकार जरिये तहसीलदार लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

.....विपक्षीगण


उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट.

उपस्थिति - वादी की ओर से - अधिवक्ता श्री जॉनी जैन

प्रतिवादी की ओर से - एक तरफा



:-निर्णय:-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या नया 62 पुराना 63 के आराजी संख्या 145/1 रकबा 1.0584 हैक्टेयर, आराजी न.35 रकबा 0.2592 हैक्टेयर, आराजी न.38 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, आराजी न.48 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी न.50 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी न.52/1 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी न. 52/2 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी न.58 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, आराजी न.62 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी न.64 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी न.65 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी न.66 रकबा 0.2160 हैक्टेयर, आराजी न.67/2 रकबा 0.1620 हैक्टेयर, आराजी न.68 रकबा 0.3780 हैक्टेयर, आराजी न.75 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी न.79 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी न.81 रकबा 0.3240 हैक्टेयर, कुल किता 17 कुल रकबा 3.5532 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम बगेडी पटवार हल्का टटाकीया भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र लसाडिया, तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर में स्थित है। जो प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थीगण ने अपनी सीमा जानकारी विपक्षीगण की मौजूदगी में करा रखी है, फिर भी विपक्षीगण प्रार्थीगण के सीमा के बारे में आये दिन झगडा करते रहते हैं व प्रार्थीगण व विपक्षीगण के खातेदारी सीमा आपस में मिली हुई है, इसलिये विपक्षीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण की सीमाओं में घुसकर अतिक्रमण करने पर उतारू है, इसलिये उक्त आराजी भूमि पर विपक्षीगण व प्रार्थीगण के मध्य पत्थरगढी कराई जाकर डिमारकेशन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विपक्षीगण लडाई झगडा करने पर आमादा है व प्रार्थीगण के उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है। इसलिये पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। विपक्षीगण लडाकु व झगडालु होकर प्रार्थीगण की जमीन को हडपने के लिये आये दिन झगडा करते रहते है व प्रार्थीगण की फसल व घास का नुकसान करते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बगेडी, ग्राम पंचायत टटाकीया पटवार हल्का टटाकीया के खाता संख्या नया 62 पुराना 63 के आराजी संख्या 145/1 रकबा 1.0584 हैक्टेयर, आराजी न.35 रकबा 0.2592 हैक्टेयर, आराजी न.38 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, आराजी न.48 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी न.50 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी न.52/1 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी न. 52/2 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी न.58 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, आराजी न.62 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी न.64 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी न.65 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी न.66 रकबा 0.2160 हैक्टेयर, आराजी न.67/2 रकबा 0.1620 हैक्टेयर, आराजी न.68 रकबा 0.3780 हैक्टेयर, आराजी न.75 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी न.79 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी न.81 रकबा 0.3240 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब लसाडिया के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगणों को विधिवत् तामिल होने के उपरान्त भी बावजूद सुचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तत्पश्चात् तहसीलदार लसाडिया का जवाब तलब किया जवाब में तहसीलदार लसाडिया द्वारा पत्थरगढी की अनुशषा के आधार पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में वही कथन कहे है जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

उपखण्ड अधिकारी

लसाडिया, जिला-सहारपुर (राज.)

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की की बहस पर मनन , पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षीगण, प्रार्थीगण की जमीन को हडपने की नियत से प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसने की कोशिश करते है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र सहमत है उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम बगेडी पटवार क्षेत्र टटाकिया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या नया 62 पुराना 63 के आराजी संख्या 145/1 रकबा 1.0584 हैक्टेयर, आराजी न.35 रकबा 0.2592 हैक्टेयर, आराजी न.38 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, आराजी न.48 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी न.50 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी न.52/1 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी न. 52/2 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी न.58 रकबा 0.1836 हैक्टेयर, आराजी न.62 रकबा 0.0432 हैक्टेयर, आराजी न.64 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी न.65 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी न.66 रकबा 0.2160 हैक्टेयर, आराजी न.67/2 रकबा 0.1620 हैक्टेयर, आराजी न.68 रकबा 0.3780 हैक्टेयर, आराजी न.75 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी न.79 रकबा 0.1080 हैक्टेयर, आराजी न.81 रकबा 0.3240 हैक्टेयर, की मौके स्थल पर पत्थरगढी हेतु एक ट्रौली पत्थर की व्यवस्था प्रार्थीगणों की रहेगी भूमि की दोनो पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालनार्थ तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक ...21/11/2025... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
(सहायक सलुम्बर) (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)